



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST-270/22/ATY-90/205/2021-APCR (RU-I)

दिनांक: 02.06.2025

श्री राजेंद्र कुमार कटारा,
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बलरामपुर-रामानुजगंज,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़
ई-मेल: balrampur.cg@gov.in
dmbalrampur.cg@gmail.com
collectorbalrampur@gmail.com

श्री वैभव बेंकर,
पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
बलरामपुर-रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़
ई-मेल: sp-balrampur.cg@gov.in

विषय: श्री सुमित गुप्ता, सीएमओ, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री गोविंद राम के विरुद्ध जाती सूचक गाली गलोच एवं जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत बाबत श्री राम विचार नेतम, माननीय सांसद (राज्य सभा) 601, एस.जे. सदन डीलक्स, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110 001 का पत्र।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 22.10.2021 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 17.06.2025 को दोपहर पूर्व सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री एस. आर. सोनार्थी,
कार्यवाहक जिलाधिकारी, जिला-धार,
निवासी-22, छीन्स पार्क कॉलोनी,
धार, मध्य प्रदेश
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

श्री गोविंद राम,
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर
जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज,
छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।